एo सीo शर्मा,
आईपीएस

परिपत्र संख्या: 12 /2013

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,

दिनांक: अप्रैल 11, 2013

प्रिय

बच्चे देश की अनमोल धरोहर है और उनकी अच्छी परवरिश न केवल उनके परिवार बल्कि देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। बच्चों का गुम हो जाना एक गंभीर प्रकरण है। हालांकि कुछ बच्चे अपनी इच्छा से घर छोड़कर भाग जाते है लेकिन इस बात से कदापि इन्कार नही किया जा सकता कि कई बच्चे विभिन्न कारणों से घर से अगवा कर लिये जाते है। बच्चों के अपहरण के निम्नलिखित कारण हो सकते है:-

1. फिरौती के लिए ।

2. संगठित गिरोहों द्वारा भीख मँगवाने के लिए या मादक द्रव्य का व्यापार एवं जेब कटवाने के लिए।

3. बाल श्रमिक के रूप में उपयोग के लिए।

4. बच्चों विशेष रूप से लड़कियों को यौन शोषण, देश के विभिन्न शहरों एवं विदेश में उनका अनैतिक व्यापार।

5. नि:संतान दम्पति द्वारा गोद लेने के लिए।

6. अंग प्रत्यारोपण के लिए।

7. धार्मिक अन्ध विश्वास, तान्त्रिक कियाओं एवं बलि के लिए ।

8. माता पिता एवं परिजनों से नाराज होकर बच्चे द्वारा स्वयं भाग जाना तथा किसी अपराधी गिरोह के चुंगुल में फंस जाना या होटल, ढाबे पर काम करना इत्यादि।

जहां एक ओर यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य है जहां पुलिस को अत्यधिक ध्यान देना होगा, वही दूसरी ओर बच्चों का गुम हो जाना उनके माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के लिए आघात है। इसलिए पुलिस को गुमशुदा बच्चों के संबंध में अत्यधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मा.उच्चतम और मा.उच्च न्यायालय द्वारा भी गुमशुदा बच्चों के

संबंध में गंभीर चिन्ता व्यक्त की गयी है और उनके ढूंढने के प्रयास व अपराध पंजीकृत करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त कारणों से मेरे द्वारा पूर्व में परिपत्र संख्या:31/2012 दिनांकित: 05.07.2012 द्वारा निर्देश दिये गये थे। उस परिपत्र में दिये गये निर्देश के अतिरिक्त अन्य निर्देशों के साथ यह परिपत्र निर्गत किया गया है जो परिपूर्ण है। पूर्व में निर्गत परिपत्र अतिक्रमित किया जाता है।

गुमशुदा बच्चा:-

J.J. Act के तहत सभी किशोर जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है बच्चे माने जायेगें। वे सभी बच्चे गुमशुदा समझे जायेगें जबतक वे बरामद नही हो जाते है और उनकी सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित नही हो जाता है।

अपराध का पंजीकरण:-

(1) थाने पर गुमशुदा बच्चों की शिकायत एवं शिकायतकर्ता को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जायेगा और उन्हें कदाचित यह परामर्श नही दिया जायेगा कि वे पहले बच्चे को स्वयं ढूँढ लें क्योंकि इससे कार्यवाही प्रारम्भ करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

(2) थाने के समस्त कर्मियों को इस ओर संवेदनशील बनायें कि वे शिकायतकर्ता के साथ शिष्ट और भद्र व्यवहार करें और कार्यवाही तत्काल आरम्भ करें।

(3) गुमशुदा बच्चों की सभी सूचना पर धारा **363 भादंवि का मुकदमा** पंजीकृत किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही होगी। ऐसा न करने पर थानाध्यक्ष एवं हेड मुहर्रिर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। यदि शिकायतकर्ता का यह स्पष्ट आरोप है कि बच्चे का अपहरण किसी अपराध घटित करने के उद्देश्य से हुआ है तो तदानुसार अपराध उचित धारा में पंजीकृत होगा, जैसा यदि बच्चे का अपहरण हत्या के लिए किया गया है तो धारा 364 भादंवि में अपराध पंजीकृत होगा। यदि अपहरण फिरौती के लिए हुआ है तो अपराध धारा 364-ए में पंजीकृत होगा।

(4) भादंवि एवं अन्य अधिनियमों की धारा की बढ़ोत्तरी अग्रिम विवेचना में अपराधिता के प्रकट होने पर की जायेगी।

(5) गुमशुदा बच्चों के प्रकरण में जो अपराध धारा 363 भादंवि के अंतर्गत पंजीकृत होगें वे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के लिए संकलित किये गये अपराध आंकड़ों में दर्शाये नही जायेंगें जबतक कि विवेचना से यह स्पष्ट नही हो जाता कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के द्वारा किये गये 12 श्रेणी के अपहरण के तहत वह नही आता है । वे श्रेणी निम्नलिखित है:-

1. अंगीकरण हेतु
2. भीख मांगने हेतु
3. ऊँट दौड़ के लिए
4. अनैतिक सम्भोग हेतु
5. विवाह हेतु
6. वेश्यावृत्ति हेतु
7. फिरौती हेतु
8. बदला लेने हेतु
9. बेचने हेतु
10. शरीर के अंगों को बेचने हेतु
11. गुलामी कराने हेतु
12. विधि विरूद्व कर्मो हेतु

(6) गुमशुदा बच्चों के सभी पंजीकृत अपराध **'स्पेशल एसआर'** केस होंगें। मुकदमा पंजीकृत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, बच्चों के समस्त विवरण के साथ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई (SJPU) तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को 24 घण्टे के अंदर भेजी जायेगी। जिन किसी जनपद में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट(AHTU) स्थापित है तो यह सूचना उस इकाई को भी दी जायेगी।

(7) संबंधित क्षेत्राधिकारी 'स्पेशल एसआर' केस की पत्रावली अपने कार्यालय में खुलवायेंगें। इन 'स्पेशल एसआर' केस की पत्रावलियों का अनुश्रवण एस0आर0 पत्रावलियों की तरह से ही होगा। केवल इन 'स्पेशल एसआर' केस की कमागत

आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को नहीं भेजी जायेगी।

(8) एस0आर0 पत्रावलियों की भांति इन 'स्पेशल एसआर' केस की पत्रावलियों को पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई (SJPU) प्रभारी का होगा।

गुमशुदा बच्चों के मुकदमों की विवेचना :-

1. विवेचक गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी तत्परतापूर्वक एकत्रित करेगा:-

1. हुलिया/पता/फोटो
2. घटना का विवरण - खोये जाने की परिस्थितियां
3. बच्चों के जा सकने के संभावित स्थान
4. संदिग्ध अपहरणकर्ताओं का विवरण
5. उसके शरणदाताओं /रिश्तेदार/ मित्र इत्यादि के पते।

इसके लिए वह घटनास्थल से तथा अपहृत बच्चों के घर से अभिभावक इत्यादि से समस्त सामग्री एकत्रित करेगा।

2. यदि बच्चे के किसी विशिष्ट स्थान पर जाने की संभावना हो तो तत्काल सम्बन्धित थाने और जनपदीय पुलिस अधीक्षक प्रभारी को भी सूचित करेगा।

3. इसके साथ ही थानाध्यक्ष तत्काल स्थानीय केबिल चैनलों के माध्यम से बच्चों के गुम होने की सूचना प्रसारित करायेगा।

4. यदि प्रकरण में किसी अपराधिक गिरोह के संलग्न होने का संदेह हो व बच्चे के साथ कोई अपराधिक कृत्य होने की संभावना हो तो एकसे अधिक टीमें बनाकर समस्त सूचनाएं एकत्रित कराते हुए तेजी से अपराधियों को पकड़ने और बच्चे को बरामद करने का प्रयास किया जायेगा।

5. वे सभी ऐसे स्थान जहां पर बच्चे के गुम होने की संभावना हो सकती है जैसे स्थानीय सिनेमाघर, बसस्टैण्ड, रेलवे स्टेशन व पड़ोस के बाजार इत्यादि, इन सबमें तत्काल 2 बीट आरक्षी भेजकर बच्चे को ढूँढने का प्रयास किया जाय। वे बीट आरक्षी टैक्सी/आटो व टैम्पो चालकों से भी सम्पर्क स्थापित करेंगे।

6. यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा किसी के द्वारा बहकाकर ले जाया गया है और सूचना मिलने में अधिक विलम्ब नही हुआ है तो जनपद के बार्डर पर चेकिंग जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

7. जनपद के कंट्रोल रूम के वाहनों को भी खोये हुए बच्चे के बारे में सूचना प्रसारित की जायेगी ताकि वे भी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए उसे ढूँढ सकें।

8. विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं व जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से विभिन्न समाचारपत्रों, टी0बी0चैनलों और केबिल चैनलों पर भी बच्चे के गुम होने की सूचना प्रसारित करेगा।

9. बच्चे के माता-पिता व अभिभावक से समस्त विवरण व फोटोग्राफ्स के साथ विवेचक SJPU /DCRB में Track Child साफ्टवेयर में सूचना अपलोड करायेगा। यह कार्यवाही 24 घण्टे के अंदर सुनिश्चित कर ली जायेगी।

10. mahilakalyan.up.nic.in बेवसाइट पर प्रदर्शित प्रदेश के विभिन्न गृहों में आवासित बालक/बालिकाएं का विवरण चेक कर देखा जायेगा कि गुम हुए बालक/बालिका इन गृहों में आवासित तो नही है। यह कार्य SJPU प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

11. विवेचक का यह भी दायित्व होगा कि शुरू में प्रत्येक सप्ताह और बाद में प्रत्येक पक्ष खोये हुए बच्चों के अभिभावक को जिला मुख्यालय स्थित SJPU में ले जाकर ट्रैक चाइल्ड की वेबसाइट पर मिले हुए बच्चों के विवरण से उनके खोये हुए बच्चे का मिलान कराकर बच्चे को ढूंढने का प्रयास करेगा।

12. विवेचक समय-समय पर गुमशुदा बच्चों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर बच्चों को ढूंढने के प्रयास के बारे मे अवगत कराते रहेगा और साथ ही साथ उनसे भी आवश्यकतानुसार सुरागों के बारे में जानकारी करते रहेगा।

13. SJPU प्रभारी प्रत्येक सप्ताह **चाइल्ड वेलफेयर कमेटी** में पाये हुए व मुक्त कराये हुए बच्चों से अपने यहां उपलब्ध खोये हुए बच्चों की सूची को Reconcile करायेगा।

14. 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे भावनात्मक उद्वेगों के कारण निराश हो कर घर से भाग जाते है। ऐसी स्थिति में वह बड़े शहरों में शरण लेते है और जीवन यापन की तलाश में ढाबों, होटलों, कारखानों, गैराजों इत्यादि में काम करने लगते है। वे शारीरिक शोषण का भी शिकार हो जाते है। ऐसे बच्चों को तलाश कर उन्हें उनके अभिभावको तक पहुंचाने का पुलिस का दायित्व पुलिस का है। अतः सभी मुख्य नगरों, महानगरों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाय एवं उनकी सूची बनायी जाय। माह में कम से कम एक बार

इन स्थानों की चेकिंग की जाय। इन स्थानों पर जो भी बच्चे मिलें उन्हें उनके अभिभावकों को वापस कराया जाना चाहिए।

15. उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए इसका उल्लेख विवेचक द्वारा केस डायरी में किया जायेगा।

16. जब बच्चा मिल जाता है या स्वयं घर आ जाता है तो विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह बच्चे से यह जानकारी प्राप्त करेगा कि वह किन परिस्थितियों में गायब हुआ था और किस प्रकार वापस आया। यदि बच्चे के खोने के संबंध में कोई अपराध नही ज्ञात होता है तो मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगायी जायेगी। अपराध की जानकारी होने पर तदानुसार अग्रिम विवेचना की जायेगी।

17. वे सभी प्रकरण जहां पर 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे चार माह तक बरामद नहीं होते है उनकी विवेचना जनपदीय काइम ब्रांच के अंतर्गत स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानान्तरित की जायेगी। पुलिस अधीक्षक (अपराध) उन विवेचनाओं को अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. जो बच्चे 3 माह तक बरामद नही होते है उनके बारे में सूचना देने वाले को पुरस्कार दिलाने की घोषणा करायी जायेगी।

<u>संगठित अपराध :-</u>

प्रत्येक जनपद में गठित काइम ब्रांच के अन्तर्गत एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU)/ जहां AHTU नही है वहां SJPU स्थापित है। पुलिस अधीक्षक (अपराध) का निम्नलिखित दायित्व होगा :-

- अस्पतालों व नर्सिंग होम में अभिसूचना को सुदृढ़ कर यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अंग प्रत्यारोपण व नि:संतान दम्पतियों को गोद दिलाने हेतु बच्चे गायब तो नही किये जाते हैं। इसी प्रकार भिखारियों के समूह को भी निरंतर चेक करते रहेगें।
- होटल/फैक्ट्री व इसी प्रकार के अन्य जगह जहां बाल श्रमिक अधिक होने की संभावना हो उनकी चेकिंग एवं बरामद बच्चों का डाटाबेस से मिलान कराते रहेगें।

- जनपद में वेश्यावृत्ति व देह व्यापार में संलिप्त गिरोह पर दबिश डालकर कम उम्र की लड़कियों को बरामद कर उनका मिलान खोई हुई बच्चियों से करते रहेगें।
- बच्चों के फिरौती हेतु अपहरण, अंग प्रत्यारोपण हेतु अपहरण में संलिप्त व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खुलवायेंगे तथा गैंग सूचीबद्ध कराकर कार्यवाही करते रहेंगें।
- इस बात की काफी प्रबल संभावना है कि बच्चें महानगरों में विभिन्न अवैधानिक ऐसी जगहों मे कार्यरत हो जाते है जहां पर उनका शोषण होता है। पुलिस अधीक्षक (अपराध) इन महानगरों से सम्बन्धित डी0सी0पी0 से समन्वय स्थापित कर बच्चों को बरामद करने का प्रयास करेंगे।

- जनपद में बच्चों के खोने के समस्त प्रकरणों का गहन मूल्यांकन कर बच्चों के खोने के Pattern का analysis कर यह समझने का प्रयास करेंगें कि इसके पीछे किस प्रकार के संगठित अपराधी हो सकते है। तदानुसार अभिसूचना व आवश्यकतानुसार सर्विलांस का प्रयोग कर गिरोह का पर्दाफाश करेगें।

<u>गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों की समीक्षा :-</u>

1. जनपदीय पुलिस अधीक्षक के पास जब 'स्पेशल एसआर' केस की पत्रावली आयेगी तब वे यह सुनिश्चित करेंगें कि उपरोक्त दी गयी चेकलिस्ट के अनुसार सभी कार्यवाही पूर्ण की गयी अथवा नही।

2. प्रत्येक 3 माह में पुलिस अधीक्षक अभियान चलाकर खोये हुए बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे।

3. पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र वर्ष में कम से कम 03 बार गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों के संबंध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा करेगें।

4. पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स वर्ष में एक बार उपरोक्तानुसार समीक्षा करेंगें।

उपकरण :-

DCRB/AHTU/SJPU द्वारा गुमशुदा बच्चों के बारे में सूचना Upload करने व Website पर बच्चों को तलाशने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक DCRB/AHTU/SJPU में एक Internet युक्त Computer, एक Multi function device और एक digital camera उपलब्ध रहे। अधिकतर जनपदों को DCRB/AHTU/SJPU को उक्त उपकरण उपलब्ध कराये गये है। जहां नही है वहां मै अपेक्षा करता हूं कि पुलिस अधीक्षक ये उपकरण उनको उपलब्ध करायेंगें। पुलिस उप महानिरीक्षक कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

मै अपेक्षा करता हूं कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में कार्यशाला आयोजित कर उपरोक्तांकित सभी निर्देशों से पुलिसकर्मियों को अवगत करायेंगे और समय से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

भवदीय,

(ए0सी0शर्मा)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.पुलिस महानिरीक्षक, सीबी, सीआईडी, उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।